महत्वपूर्ण

संख्या– 1709 /60–3–2015–13(11)/14टीसी

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष
महिला कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2015

विषयः–उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली में निर्दिष्ट अपराधों के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–298/म0क0निदे0/कम्प्यूटर सेल/2015–16 दिनांक 01.10.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली में निर्दिष्ट अपराधों के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में अर्हता की तिथि स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नियमावली के अन्तर्गत निर्दिष्ट अपराधों से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक प्रयोजन हेतु अर्हता की तिथि के लिये घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि को संज्ञान में लिया जायेगा। यदि कोई विशिष्ट प्रकरण जिसमें घटना नियमावली के प्रख्यापन के पूर्व की तिथि की हो, परन्तु परिस्थितिवश एफ0आई0आर0 बाद में दर्ज हुई हो, इस प्रकार के प्रकरणों पर जिला संचालन समिति की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् केस–टू–केस बेसिस पर राज्य अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त निर्णय से सम्बन्धित टिप्पणी के उद्धरण की छायाप्रति भी संलग्न है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव

संख्या– 1709 (1)/60–3–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव

Sri Tandan/Go